

अधीक्षण अति ता
तृताय वृत्त लो ०००
पिथी ००००

वृत्ताय वृत्त लो. ७५०
विष्णो. १००
५०० - ५३० १३५० - ०३१११ दि. ४ २११२
पति लि. ३०० - ३०० प्रा. २०० लो. १०० दि. १००
को. १००००० एवं १०००००० १००००००० १०००००००
पति लि. १००००००० १०००००००० १०००००००० १००००००००

देहरादून: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2011

जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट एवं कनालीछीना के अन्तर्गत मोटर मार्ग नवनिर्माण प्रथम चरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (कु.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-
 ११३३१०/११२५ सं०-१०३०६/११२५ यातायात-कमार्य/

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (कु.क्ष.) लोक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 10463/1125 यातायात-कुमायू/2010 दिनांक 27.9.2010, पत्र सं०-10306/1125 यातायात-कुमायू/2011 दिनांक 6.9.2011, पत्र सं०-10978/1125 यातायात-कुमायू/2011 दिनांक 28.9.2011 के संदर्भ में मुझे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट एवं कनालीछीना के अन्तर्गत नलम्न विवरणानुसार उल्लिखित 04 कार्यों के नव निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इस नलम्न में मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत उल्लिखित कराये गये 04 आगणनो, लम्बाई 13.00 किमी० तथा लागत ₹163.70 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० के द्वारा परीक्षणोपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹163.70 लाख (₹ एक करोड़ तिरेसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु संलग्नक के कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणानुसार ₹ 0.80 लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/111(2)/10-17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित हो, जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

PHOTO COPY ALLIANCE

क्रमशः 2/-

83581

-2-

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी का होगा।

उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि हण-00-24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गई से किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों योजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 721/XXVII(2)/2011 दि०: 22 दिसम्बर, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
नक- उक्तानुसार। D.No.128/30.11.12 दि०: 18/12/12

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।

सं०:- /111(2)/11-117(प्रा0आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लॉ.नि.वि., अल्मोड़ा।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
उत्तराखण्ड शासन-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
अधीक्षक अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट।
अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

Photo copy Attested
Date

आज्ञा से,

सं०: 1632/2011-12 (क) दि० 30/12/11 (धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।

कार्यवाही हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
दाया प्रति प्रमाणित।

सहायक उपसचिव।
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

नादेश संख्या:- 7234 / 111(2) / 11-117(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का सलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं०	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी० में	कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में घिमाली से बगजीवला मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.74	0.20
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में लामाघर बैण्ड से लामाघर मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.16	0.20
3	किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	50.40	0.20
4	नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	50.40	0.20
कुल योग (4कार्य)		13.00	163.70	0.80

(₹ अस्सी हजार मात्र)

Photo Copy Attached
by

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

20
एन।

भियन
गर्गो
त द्व
सर्क
-5
न ल
ते हैं:-
र्ग कि
10
। विस
र्ष प्रा

दित
कृति

य कद
प्रमाण

क नि
सुनिशि

रु मद

विषय
रेक्टर व

-05-2
श्चित नि

दीपिका उन्नीत

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय राज, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़